

समाहरणालय, मुंगेर

(जिला आपूर्ति शाखा)

उपावंटन आदेश

सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-40 (बजट)/खाद्य दिनांक-08.12.2016 द्वारा मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन और प्रशासन, मांग संख्या-18 उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार विपत्र कोड संख्या N-3456000010002, गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए व्यय हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में प्राप्त आवंटन में से निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को तालिका "क" एवं "ख" में नाम के सम्मुख अंकित राशि उपावंटित की जाती हैं।

तालिका "क"

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा० का पदनाम	वेतन	जी०या० भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनुमण्डल पदा०, सदर, मुंगेर	500000	630000	50000	2000	1182000	
2	अनुमण्डल पदा०, तारापुर	150000	190000	10000	1200	351200	
3	अनुमण्डल पदा०, खड़गपुर	350000	380000	40000	1800	771800	
कुल :-		1000000	1200000	100000	5000	2305000	

(तेईस लाख पाँच हजार रूपये मात्र)।

तालिका "ख"

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा० का पदनाम	यात्रा व्यय (11 01)	कार्यालय व्यय (13 01)	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव (13 02)	योग
1	2	3	4	5	6
1	जिला आपूर्ति पदा०, मुंगेर	10000.00	-	-	10000.00
2	उप समाहर्ता, प्रभारी जिला नजारत, मुंगेर	-	20000.00	150000.00	170000.00
कुल :-		10000.00	20000.00	150000.00	180000.00

(एक लाख अस्सी हजार रूपये मात्र)।

(1) यह राशि मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार विपत्र कोड संख्या N-3456000010002, मांग संख्या-18 (गैर योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा।

(2) यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि० दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.2016 एवं पत्रांक-4572/वि० दिनांक-23.06.2016 के आलोक में व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

(3) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

